

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापूर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 5/2016

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

अनवान

1. श्रीमती मांगी देवी पत्नि सोहन लाल तेली निवासी सहाडा तहसील सहाडा

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु गंगापूर, जिला-भीलवाडा

2. परियोजना अधिकारी राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण आर.सी.व्यास कोलोनी

भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)।

3. शारदा पत्नी बंशीलाल सुराणा निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर 13/2016

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

अनवान

1. श्रीमती डाली देवी पत्नि बालुलाल गाडीलुहार निवासी सहाडा तहसील सहाडा

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु गंगापूर, जिला-भीलवाडा

2. परियोजना अधिकारी राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण आर.सी.व्यास कोलोनी

भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)।

3. भंवरलाल आत्मज मांगीलाल सुराणा (महाजन) निवासी सहाडा तहसील सहाडा

प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर 169/2015

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

अनवान

1. श्रीमती मोहनी देवी पत्नि शांतिलाल कुम्हार निवासी सहाडा तहसील सहाडा

वादीया

बनाम

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु गंगापूर, जिला-भीलवाडा

4. परियोजना अधिकारी राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण आर.सी.व्यास कोलोनी

भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)।

प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
पर जिला भीलवाडा (राज0)

1.

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सहाडा के बेरुन हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 1331/1 रकबा 5 बिस्वा भूमि शमसुदीन पिता रफीकुदीन मुसलमान निवासी गंगापुर के नाम खातेदारी हक अधिकार से दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि को तत्कालीन खोतदार से मांगी लाल पिता कजोडीमल सुराणा निवासी सहाडा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सन् 1969 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 911 फैसल किया गया। उक्त भूमि जमाबन्दी संख्या 2026 से 2029 में मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा के नाम खातेदारी हक अधिकार से दर्ज हुई हैं। मांगीलाल ने उक्त भूमि अपने नाम होने के पश्चात् आबादीमें दर्ज करवाने की कार्यवाही की। भूमि सहाडा के नामान्तरकरण संख्या 1034 दिनांक 28.11.19971 को बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिस भूमि को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1045 दिनांक 23.02.1972 को आबादी में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया। भू-प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान ग्राम सहाडा का भी नवीन भू-प्रबन्ध हुआ जिसमें साबिक आराजी संख्या 1331/1 रकबा 05 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 3494 रकबा 0.02 है 0 3496 रकबा 0.02 है 0 3497 रकबा 0.01 है 0 कायम किये गये है उक्त आराजियात का इन्द्राज खातेदार के नाम नहीं होने से गे 0 मु 0 आबादी में बिलानाम गैर काबिल काशत राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात मांगीलाल सुराणा के वारिसान के कब्जे व अधिकार में है। यह कि उक्त भूमियों में जिन हिस्से पर सम्मपतलाल व आनंदीलाल काबिज होकर स्वामी थे उन्होंने रूपयों की आवश्यकता होने से उक्त आबादीशुदा भुखण्ड मुझ वादिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 26.11.2002 को विक्रय कर भौतिक कब्जा सिपुर्द कर दिया। तब से ही उक्त भुखण्ड वादिया के आधिपत्य में होकर उसके उपयोग उपभोग में है, जिस पर वादिया ने मकान का भी निर्माण करवा रखा है। वादिया काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। वादिया का क्रय शुदा भुखण्ड हाल आराजी संख्या 3494 व 3496 में आता है जिसमें वादिया अपने परिवार सहित करती चली आ रही है।

यह कि राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों ने भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही के दौरान भूमि को बिलानाम करते हुए अन्दर हल्का आबादी में दर्ज कर दी जबकि उन्हें अन्दर हल्का आबादी भूमि रूपान्तरण का अंकन करते हुए उसे पुनः खातेदार के नाम दर्ज करनी थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे उक्त भूमि आज भी बिलानाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज चली आ रही है।

आराजी संख्या 3496 व 3497 में दर्ज भूमि में वादिया के क्रयशुदा हिस्से को

गैर काबिल काशत के बजाय वादीया के नामदर्ज करवाया जाना है।

उक्त भूमि का आंशिक भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 को चौड़ा करने फोरलेन

6/12/15

करने में अवाप्त किया जा रहा है। वादीया ने वाद पत्रमें प्रार्थना की है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि ग्राम सहाडा के हाल आराजी संख्या 3494 व 3496 कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है० में से 1650 वर्ग फीट की भूमि बिलानाम नहीं होकर वादिया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिससे पूर्व नामान्तरण संख्या 1045 को निरस्त बिलानाम के बजाए वादिया का नाम बतौर स्वामी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जावें। वादी ने प्रार्थना यह भी की है कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 02 वाद वर्णित आराजीयात में निहित वादिया के हिस्से का अवाप्त शुदा भाग का मुआवजा वादीया के अतिरिक्त किसी अन्य को भुगतान नहीं करें।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.12.2015को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने जवाब में बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 में अंकित तथ्यों को रेकार्ड अनुसार स्वीकार किया है। तथा प्रतिवादी नम्बर 2 की और से प्रस्तुत जवाब में वादी का वाद पत्र खारिज करने बाबत् निवेदन किया।

वादिया की साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान P.W-1 प्रस्तुत किये गये हैं। विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है जो प्रदर्श 1 है। ग्राम सहाडा की जमाबन्दी संवत् 2026-29 प्रदर्श 2 में अंकितानुसार आ०नं० 1331/1 रकबा 5 बिस्वा भूमि शमसुदीन पिता रफीकुदीन मुसलमान निवासी गंगापुर के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसे शमसुदीन पिता रफीकुदीन मुसलमान निवासी गंगापुर द्वारा श्री मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा निवासी सहाडा को विक्रय किया जाने से खातेदारी हक से दर्ज होना पाया जाता है। नामान्तरण संख्या 911 प्रदर्श 3 है। नामा०सं० 1034 दिनांक 28.11.1971 से उक्त भूमि बिलानाम दर्ज की गई तथा नामा० संख्या 1045 दिनांक 23.02.1972 को आबादी में दर्ज हुई। जिसकी प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श 4 व 5 हैं। साबिक आराजी नम्बर 1331/1 रकबा 0.05 है० के नवीन आराजी नम्बर 3494 रकबा 0.02 है० आराजी संख्या 3496 रकबा 0.02 है० आराजी नंबर 3497 रकबा 0.01 है० कायम किये गये जिसके मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6 हैं। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071-74 प्रदर्श 7 है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श 8 है। वादीया ने अपनी साक्ष्य में कुल 8 दस्तावेज प्रदर्श कराये।

तहसीलदार सहाडा से प्रकरण में रिपोर्ट चाही गई रिपोर्ट अनुसार:-
यह कि वादिया मोहनी देवी का ग्राम सहाडा की वर्तमान आराजी नं० 3496/2 रकबा 0.0150 हे० में मौके पर 10 गुणा 15 वर्गमीटर पर कब्जा है।
यह कि वर्तमान राजस्व नक्शा एवं जमाबंदी रेकार्ड में रकबे का मिलान नहीं होता है। राजस्व नक्शा बड़ा बना दिया गया एवं जमाबंदी में रकबा कम है।
यह कि राजस्व रेकार्ड अनुसार मूल आराजी नं० 3496 के वर्तमान में टुकड़े होकर आराजी नं० 3496/1 रकबा 0.0050 हे०, आराजी नं० 3496/2 रकबा 0.0150 हे० एवं आराजी नं० 3497 रकबा 0.01 हे० दर्ज रेकार्ड है। (नक्शा ट्रेस संलग्न है।)

2.
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला सहाडा

इसी प्रकार वादीयागण की राजीनामा अनुसार प्रार्थना:-

उक्त अनवानीक प्रकरण ग्राम सहाडा की आराजी संख्या 3496/2 रकबा 0.0150 हे0 भूमि से संबंधित है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 के अलावा भूमियों के पूर्व स्वामियों से पूर्व में राजीनाम हो चुका है। तथा प्रतिवादी संख्या 01 से अब निम्नानुसार उभयपक्षों के मध्य राजीनामा तय हुआ है।

उक्त वर्णित आराजी में वादीयागण के नाम उक्त वर्णित आराजी का मौके पर कब्जे एवं रेकार्ड में अंकित रकबे के आनुपातिक तौर पर यानि वादिया मोहनीदेवी को 1/2, मांगीदेवी 1/4 एवं डालीबाई 1/4 हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है एवं उसी अनुसार वादीयागण अपने - अपने हिस्से का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी रहेगे। उक्तानुसार उभयपक्षों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा तय हुआ है। जिससे राजीनाम अनुसार वाद पत्र डिक्री फरमाया जावें।

वादीया अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि वादिया ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादिया के पक्ष में स्वीकार किया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया हैं। साथ ही राजीनामा संयुक्त रूप से वादियागण द्वारा पेश किया जिसे स्वीकार किया जाना उचित है। एवं राजीनामा को मध्य नजर रखते हुए तीनों वाद एक ही प्रकृति के होने से उक्त तीनों वाद प्र0सं0 5/16, 13/16 एवं 169/15 को एक साथ क्लब किया जाना उचित है।

मैंने पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार सहाडा रिपोर्ट व राजीनामा अनुसार निष्कर्ष निम्न प्रकार है-

इस राजीनामे को सिद्ध कराने का भार वादीयागण पर होने से वादीयागण ने अपने साक्ष्य में 8 दस्तावेज प्रस्तुत किये।

ग्राम सहाडा की जामबन्दी 2026 से 2029 के अनुसार आराजी नम्बर 1331/1 रकबा 0.05 भूमि शमसुदीन पिता रफीकुदीन मुसलमान नि0 गंगापुर द्वारा मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा निवासी सहाडा को विक्रय की जाने से खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होना पाया जाता हैं। साबिक आराजी नम्बर 1331/1 रकबा 0.5 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल आ0नं0 3494 रकबा 0.02 है0, 3496 रकबा 0.02 है0 व 3497 रकबा 0.01 है0 कायम किये गये। यह कि उक्त भूमियों में जिन हिस्से पर सम्मपतलाल व आनंदीलाल काबिज होकर राजी थे उन्होंने रूपयों की आवश्यकता होने से उक्त आबादीशुदा भुखण्ड वादिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 26.11.2002 को विक्रय कर भौतिक कब्जा सिपुर्द कर दिया। जिस पर वादिया ने सकान का भी निर्माण करवा रखा है।

सहायक कलेक्टर
(सपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भोक्तवाडा

वादिया काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है।


चूंकि ग्राम सहाडा के साबिक आराजी नम्बर 1331/1 रकबा 0.05 है 0 भूमि मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा निवासी सहाडा के नाम जमाबंदी संख्या 2026 से 2029 में दर्ज रेकार्ड होने के पश्चात् उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 1034 से बिलानामदर्ज कर दी गई तथा नामान्तरकरण संख्या 1045 से साबिक आराजी नम्बर 1331/1 रकबा 0.05 है 0 आबादी दर्ज कर दी गई जिसके हाल आराजी नम्बर 3494/0.02 है 0, 3496/0.02 है 0 व 3497/0.01 है 0 किता 3 रकबा 0.05 है 0 है 0 भूमि जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में गै 0 मु 0 आबादी दर्ज रेकार्ड हैं। तहसीलदार सहाडा की रिपोर्ट एवं राजीनाम अनुसार उक्त वर्णित आराजी में वादीयागण के नाम उक्त वर्णित आराजी का मौके पर कब्जे एवं रेकार्ड में अंकित रकबे के आनुपातिक तौर पर यानि वादिया मोहनीदेवी को 1/2, मांगीदेवी 1/4 एवं डालीबाई 1/4 हिस्सो से खातेदार घोषित किया जाना उचित है एवं उसी अनुसार वादीयागण अपने - अपने हिस्से का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारीणी है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीयागण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 वादीयागण के पक्ष में डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता हैं।

-: आदेश :-

वादियागण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 आर 0 टी 0 ए 0 का स्वीकार जाकर ग्राम सहाडा की बिलानाम आराजी संख्या 3496/2 रकबा 0.0150 हे 0 भूमि की किस्म गै 0 मु 0 आबादी से विलोपित करते हुए मौके पर कब्जे एवं रेकार्ड में अंकित रकबे के आनुपातिक तौर पर अर्थात् वादिया मोहनीदेवी को 1/2, मांगीदेवी 1/4 एवं डालीबाई 1/4 हिस्सो से खातेदार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सहाडा आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

उक्तानुसार निर्णय की प्रतियां प्रत्येक पत्रावली में पृथक्-पृथक् शामिल की जाकर पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(विकास पंचोली)

सहायक कलेक्टर

उपखण्ड अधिकारी, मोगापुर
मोगापुर जिला मोगा (राज.) 5.

Scanned by CamScanner

